

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

सहायक निदेशक (आई0टी0 प्रकोष्ठ),
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-3प/प0क0/स्थानान्तरण /96/2023/19110 देहरादून, दिनांक: 25 जुलाई 2024

विषय-

परिवार कल्याण अधिष्ठान के अन्तर्गत अपर शोध अधिकारी संवर्ग के पद धारक के स्थानान्तरण की सूचना वेबसाइट में प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि परिवार कल्याण अधिष्ठान के अन्तर्गत अपर शोध अधिकारी संवर्ग के पद धारक के स्थानान्तरण की सूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाना है।

अतः परिवार कल्याण अधिष्ठान के अन्तर्गत अपर शोध अधिकारी संवर्ग के स्थानान्तरण सम्बन्धित सूचना संलग्न करते हुये आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त को वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(जे0एस0 बिष्ट)

संयुक्त निदेशक (सा0का0)।

संयुक्त निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।

पत्रांक-3प/प0क0/96/2023/

19022


देहरादून, दिनांक 25 जुलाई 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080/2023, दिनांक 28.06.2024 व शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08.07.2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पद नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री कैलाश चन्द्र त्रिपाठी	अपर शोध अधिकारी	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी हरिद्वार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोटाहल्दू, नैनीताल	निजी अनुरोध- (वरिष्ठकार्मिक/ दाम्पत्य नीति)

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी को कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध करायें जाये।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नई तैनाती से आहरित किया जाये।
- सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु कोई भी यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।


(तारा जोशी)
महानिदेशक।

पत्रांक-3प/प0क0/96/2023/

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी हरिद्वार/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० बिष्ट)
संयुक्त निदेशक
(रा०का०)